



2026:AHC:31090

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट-सी संख्या- 5293 सन् 2026

हंसमुखी बेगम

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : एम० आसिफ, रवि कुमार

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस देने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का उद्देश्य उपयोगी नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्था संख्या 2/ जिला मजिस्ट्रेट, जिला इटावा को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत दिनांकित 14.01.2026 के अभ्यावेदन पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

“(7). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही को उप-मण्डल अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र की तिथि से तीन महीने के भीतर यथासंभव समाप्त कर दिया जाएगा।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि बीत चुकी है, लेकिन आज तक इस

2

मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दाखिल की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रत्यर्था संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

11 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"